न्यायालय बईजलास मोनिका बलारा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर (उपखंड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौड़गढ़ (राज.)
दावा संख्या :: 60/2016

शम्भुलाल पिता रोडीराम चतुर्वेदी ब्राम्हण
निवासी पाछून्दा हा0मु0 बेगूँ

बनाम

कन्हैयॉलाल पिता मांगीलाल धाकड निवासी
श्रीनगर तह0 बेगूँ व अन्य

दावा अ0धा 0 188 आर.टी.एक्ट

आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी.

17.4.2017– दावा पत्रावली में अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दीकृका प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया :–

1. यह कि उक्त अनुवान के प्रकरण में वादीगण द्वारा वाद पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया गया जो न्यायालय श्रीमान के जैरगौर होकर आज पेशी है ।
2. यह कि वादीगण द्वारा एक फर्जी व कुटरचित बनावटी अनुबन्धपत्र के आधार पर मात्र स्थाई निषेधाज्ञा के लिये वाद प्रस्तुत किया गया है जो कानून प्रथम दृष्टया ही खातेदारी के अभाव में निरस्त होने योग्य है ।
3. यह कि उक्त प्रकरण में वादीगण द्वारा तथाकथित अनुबंधपत्र प्रस्तुत किया जो कि अपंजीकृत दस्तावेज है जिसके आधार पर वादीगण खातेदार काश्तकार नहीं बन सकते है । वादीगण को धारा 188 रा0टी.0एक्ट के तहत वाद पत्र प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार ही प्राप्त नहीं है । वादीगण का वाद पत्र प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है । तथा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय में वाद वादीगण प्रस्तुत नहीं हो सकता है चूँकि वादीगण का वाद न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में नहीं होने से भी काबिल खारिज है ।

अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा वादीगण का वाद पत्र इस स्टेज पर सव्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावें ।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति अधिवक्ता वादी को दी गई जिन्होने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनुबंध पत्र में अंकित दिनांक से ही भूमि पर वादी काबि जो काश्त कर रहा है । वादीगण भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है जिन्हें उक्त वाद पत्र पेश करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त होने से वाद प्रस्तुत किया है एवं वाद पत्र कृषि भूमि का होकर स्थाई निषेधाज्ञा का होने से वाद का श्रृवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय श्रीमान आपको प्राप्त है। जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन में अंति किया हैक कि प्रतिवादी को अगर उक्त आपत्ति है तो उसे जवाब वाद पत्र में अंकित कर सकता है। प्रतिवादी वादी को मात्र परेशान करने की गरज से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है । जो काबिल खारिज होने योग्य है ।

प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत होने के पश्चात उभयपक्ष की बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि एग्रीमेन्ट अनरजिस्टर्ड दस्तावेज है । यह दावा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर चलने योग्य नहीं है । दस्तावेज केवल एक स्टाम्प पर है , जिसके लिए सुनने का क्षैत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं है । यदि वादी ने कोई मुकद्मा करवाया हो तो दस्तावेज पेश करें । प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर दावा वादी का खारिज फरमाया जावें । बहस में अधिवक्ता वादी अप्रार्थी ने निवेदन किया कि भूमि के विकय दिनांक से ही भूमि पर वादी का कब्जा है , भूमि की खातेदारी हो उस दिन रजिस्ट्री करवा देगें । विकेता आगे अन्य को सैल नहीं कर दे इसलिए यह दावा हम लेकर आये है । प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें ।

प्रार्थना पत्र पर बहस उभयपक्ष की सुने जाने के पश्चात पत्रावली का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया । नकल जमांबंदी अनुसार मौजा भंवरियाकला की आराजी संख्या 135/3मी0 रकबा 1.0200 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री कन्हैयॉलाल ,नरेशकुमार जगदीशचन्द्रअ मोहनी मनोहरी सुगना पिता मांगीलाल हि.ब. सा. श्रीनगर गैरखातेदार दर्ज है जिन्हें जरिये नामान्तरण संख्या 478 दिनांक 7.4.2016 से खातेदारी हक से भूमि दर्ज करने की स्वीकृती हुई है, पत्रावली में प्रस्तुत अनुबंध पत्र विकय आराजी के जो वादी के नाम पर स्टाम्प पर गैरखातेदारान द्वारा लिखा गया है वह दिनांक13.2.2013 को लिखा है , जब अनुबन्ध भूमि विकय बाबत लिखा गया तब भूमि गैरखातेदारी में दर्ज थी , तथा कानूनन गैरखातेदारान को भूमि विकय किये जाने का कोइ हक नहीं होता है । प्रस्तुत अनुबंध पत्र अपंजीकृत है ,अन्य केतागण को जो भूमि विकय किये जाने का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वह भूमि के खातेदारी हक लेने के पश्चात भूमि विकय किये जाने का है। वादी को अपंजीकृत भूमि विकय अनुबंध के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही करना चाहिए । इस प्रकार सभी दस्तावेज के अनवालेकन किये जाने के पश्चात प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी.का स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है ।

अतः पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण का अन्तर्गत धारा 7 नियम 11 सी.पी.सी. का एतद् द्वारा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पत्र खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 17.4.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मोनिका बलारा)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी),बेगूँ